न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मिसल नं.	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
27 / 2022	01.08.2022	26.09.2023

पीठासीन अधिकारी– दिनेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(अपीलान्ट्स)

बनाम

1– घनश्याम पुत्र भंवरलाल कोली निवासी बडौद तहसील दीगोद
2– रानी बाई पुत्री गोरधन कोली निवासी बडौदा तहसील श्योपुर म0प्र0
3– मोनू पुत्र गोरधन कोली निवासी बडौदा तहसील श्योपुर म0प्र0
4– गुड्डी बाई पुत्री गोरधन कोली निवासी बडौदा तहसील श्योपुर म0प्र0
5– सरपंच ग्राम पंचायत बडौद तहसील दीगोद

(रेस्पोडेन्ट्स)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट इन्तकाल नं. 1858, 1859 दि0 05.04.2022

ग्राम पंचायत बडौद तहसील दीगोद

अपीलान्ट्स की ओर से– तहसीलदार दीगोद

निर्णय

संक्षेप में अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया है कि:–ग्राम बडौद तहसील दीगोद के खाता संख्या 705 में स्थित खसरा नम्बर 1073 रकबा 1.04 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 902 रकबा 0.48 हेक्टर, कुल 2 किता रकबा 1.52 हेक्टर एवं खाता संख्या 726 के खसरा नम्बर 1077 रकबा 1.58 हेक्टर कुल 1 किता रकबा 1.58 हेक्टर भूमि स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का 1/5 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 4 की माता द्रोपती बाई का 1/10 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था। द्रोपदी बाई की मृत्यु होने पर विरासत से ग्राम पंचायत बडौद द्वारा नामान्तरकरण सं0 1858 एवं 1859 दिनांक 05.04.2022 को स्वीकृत किया गया है जो अवैधानिक है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मृतक द्रोपती बाई के वारिसान के बारे में कोइ जांच नही की गई है तथा मृतका के भाई घनश्याम व ग्रामवासियान द्वारा मृतक द्रोपतीबाई के वारिसान के सम्बन्ध में गलत सूचना देना एवं मृतक द्रोपती बाई को लाऔलाद फोत होना बताया गया है। इस आधार पर ग्राम पंचायत बडौद द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1858 एवं 1859 दिनांक 5.04.2022 को स्वीकृत किये जाने

में त्रुटि की गई है। उक्त नामान्तरकरीण के सम्बन्ध में पटवारी हल्का बडौद द्वारा तहसीलदार दीगोद को सूचना दिनांक 18.07.2022 को सूचित किया गया है कि ग्राम बडौद के ख0नं0 1073, ख0नं0 902, व ख0नं0 1077 मे मृतक सहखातेदार द्रोपदी बाई पुत्री भंवरलाल कोली की विरासत नामा0 सं0 1858 व 1859 से दर्ज की गई थी जो ग्राम पंचायत बडौद द्वारा दि0 5.04.2022 को स्वीकृत हुआ था, तत्पश्चात प्रार्थी पटवारी हल्का बडौद की जानकारी में आया कि उक्त नामा0 में द्रोपती बाई के वारिस दर्ज होने से शेष रह गये । इसलिय उक्त नामान्तरकरणों को निरस्त करवाने एवं राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण के आदेश तक नोट अंकित करने बाबत निवेदन किया गया है कि:– अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बडौद के नामान्तरकरण संख्या 1858 एवं 1859 दिनांक 05.04.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

1. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट की विधिवत करवायी गयी।

2. अपीलान्ट तहसीलदार दीगोद की ओर प्रस्तुत कर पटवारी हल्का बडौद की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना प्रस्तुत कर दिनांक 18.07.2022 को सूचित किया गया है कि ग्राम बडौद के ख0नं0 1073, ख0नं0 902, व ख0नं0 1077 में मृतक सहखातेदार द्रोपदी बाई पुत्री भंवरलाल कोली की विरासत नामा0 सं0 1858 व 1859 से दर्ज की गई थी जो ग्राम पंचायत बडौद द्वारा दि0 5.04.2022 को स्वीकृत हुआ था, तत्पश्चात प्रार्थी पटवारी हल्का बडौद की जानकारी में आया कि उक्त नामा0 में द्रोपती बाई के वारिस दर्ज होने से शेष रह गये । इसलिय उक्त नामान्तरकरणों को निरस्त करवाने एवं राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण के आदेश तक नोट अंकित करने बाबत निवेदन किया गया है कि:– अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बडौद के नामान्तरकरण संख्या 1858 एवं 1859 दिनांक 05.04.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

3. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रस्तुत अपील की समस्त चरणों को स्वीकार कर निवेदन किया है रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 4 का नाम मृतका द्रोपतीबाई के स्थान पर पुनः जॉच वारिसान कर पुनः इन्तकाल खोला जावे तथा पूर्व में इन्तकाल नं0 1858 व 1859 निरस्त करने के आदेश प्रदान करें।

4. अपील अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट 1 ता 4 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रस्तुत अपी के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 18.07.2022 को पटवारी हल्का बडौद के प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम बडौद के ख0नं0 1073, ख0नं0 902, व ख0नं0 1077 में मृतक सहखातेदार द्रोपदी बाई पुत्री भंवरलाल कोली की विरासत नामा0 सं0 1858 व 1859 से दर्ज की गई थी जो ग्राम पंचायत बडौद द्वारा दि0 5.04.2022 को स्वीकृत हुआ था, तत्पश्चात प्रार्थी पटवारी हल्का बडौद की जानकारी में आया कि उक्त नामा0 में द्रोपती बाई के वारिस दर्ज होने से शेष रह गये । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बडौद के नामान्तरकरण संख्या 1858 एवं 1859 दिनांक 05.04.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने प्रस्तुत अपील की समस्त चरणों को स्वीकार कर निवेदन किया है रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 4 का नाम मृतका द्रोपतीबाई के स्थान पर पुनः जॉच वारिसान कर पुनः इन्तकाल खोला जावे।

5. प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता एवं राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं दोषी के विरूद्ध धोखाधड़ी का नोटिस जारी कर पृथक से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

6. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं इन्तकाल नं0 1858 एव 1859 दिनांक 05.04.2022 ग्राम पंचायत बडौद निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दीगोद को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः सुनवाई करते हुए विधि सम्मत एवं दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए, इन्तकाल खोलने की कार्यवाही की जावे तथा धोखाधडी करने वालों के विरूद्ध पृथक से की गयी कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)